

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

13/1/23

पत्रावली पेश हुई।

वादिनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने पत्रावली को पेशी पर लेने पर कोई एतराज नहीं है। काउण्टर क्लेम को विद्धो करते हुए, अगर वादिनी वाद विद्धो करती है तो प्रतिवादीगण एवं उनके वकील को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली आज पेशी पर ली गई।

वादिनी स्वयं ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वाद जरिये राजीनामा विद्धो करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना स्वीकार किया। वादिनी की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण की पहचान श्री देवाराम चौधरी ने दी। जो शामिल पत्रावली हो।

वादिनी का निवेदन है कि उक्त वाद के सम्बन्ध में हमने न्यायालय के बाहर मिल बैठ कर परिवार एवं सगे सम्बन्धियों की सलाह पर समझाईश कर सुलह कर ली है। उक्त विवादित खेत खसरों सम्बन्ध में किया गया वाद लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर विद्धो करना चाहती हूँ। अब मैं इस वाद को आगे चलाना नहीं चाहती हूँ। उक्त वाद को जरिये राजीनामा विद्धो करना चाहती हूँ। उक्त विवादित खेत खसरों सम्बन्ध आगे किसी भी न्यायालय में कोई वाद/अपील दायर नहीं करूगीं।

अतः वादिनी का वाद जरिये प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर इसी स्तर पर विद्धों किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

RTI



RTI 2/23

~~काउण्टर क्लेम
का विद्धो करने हेतु
जवा विद्धो करके
पर कोई आपत्ति नहीं है~~

लाखाराम
जोशाराण
देवाराम चौधरी

